रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-31122025-268963
CG-MH-E-31122025-268963

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5888] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 29, 2025/पौष 8, 1947
No. 5888] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 29, 2025/PAUSHA 8, 1947

रेल मंत्रालय

(रेल विकास निगम लिमिटेड)

(भारत सरकार का उपक्रम)

अधिसूचना

गुजरात, 10 दिसम्बर, 2025

का.आ. 6088(अ).— रेल विकास निगम लिमिटेड, भारत सरकार का एक उद्यम, जिसका पंजीकृत कार्यालय रेल विकास निगम लिमिटेड, प्लोट नं २५. प्रथम तल, अगस्त कांति भवन, आफिका एव, भीखाजी कामा प्लेस, रामा किष्णा पुरम, नई दिल्ली, दिल्ली-११००६६ और पीआईयु कार्यालय रेल विकास निगम लिमिटेड, दूसरी मंजिल आरवीएनएल कार्यालय, एसबीआई बैंक के सामने, गांधीग्राम रेलवे स्टेशन के पास, गांधीग्राम, अहमदाबाद, गुजरात में है ३८०००९ भारत सरकार को आवेदन करने का इरादा रखता है कि वह उसे विदयुत पारेषण परियोजना भारत सरकार द्वारा विद्युत मंत्रालय के माध्यम से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के तहत सभी शक्तियां प्रदान करे या टेलीग्राफ उन कार्यों के उचित समन्वय के लिए आवश्यक टेलीग्राफिक संचार जो टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए टेलीग्राफ लाइनों और पोस्टों को रखने के संबंध में है या इस प्रकार स्थापित या बनाए रखा जाना है और सर्वेक्षण, निर्माण, स्थापना का कार्य करेगा, निम्नलिखित कार्यों के लिए निरीक्षण, उत्थापन और अन्य कार्यों के बाद कमीशनिंग, प्रचालन, अनुरक्षण और अन्य कार्य किए जाने हैं योजना : -

पारेषण योजना का नाम:

1. पश्चिम रेलवे धंधुका 132/25 केवी ट्रैक्शन सबस्टेशन – दीर्घकालिक ओपन एक्सेस के तहत 132 केवी गेटको धंधुका एसएस से 10.14 मेगावाट बिजली की निकासी

योजना के अंतर्गत शामिल कार्य:

a) 132 केवी डी/सी (2x3-फेज) लाइन 132 केवी धंधुका(जीईटीसीओ) एस/एस छोर से प्रो 132 केवी धंधुका टीएसएस के 132 केवी स्विचयार्ड तक आंशिक रूप से एसीएसआर पैंथर कंडक्टर पर और आंशिक रूप से 132 केवी, सिंगल कोर 800 Sq.mm केबल पर
लाइन की लंबाई लगभग 5.257 किलोमीटर है, जो एसीएसआर पैंथर कंडक्टर और सिंगल कोर 800 Sq.mm केबल के साथ डबल सर्किट टॉवर पर होगी ।

उपर्युक्त पारेषण परियोजना भारत सरकार द्वारा विद्युत मंत्रालय के माध्यम से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68(1) के अंतर्गत दिनांक 10-10-2008 के पत्र सं 1/2006-स्था के माध्यम से पहले ही अनुमोदित है। संख्या 25-17/112/2025-पीजी, दिनांक: 09/12/2025 ।

स्कीम के अंतर्गत शामिल पारेषण लाइन निम्नलिखित गांवों, कस्बों और शहरों के बीच, ऊपर, आसपास और बीच से गुजरेगी:-

गाँवों के नाम	तहसील	जिला
जालिया, छारोडिया, वासना, रायका, धंधुका	धंधुका	अहमदाबाद, गुजरात

मार्ग संरेखण की प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध है। जनता को लिखित रूप में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से दो महीने के भीतर प्रस्तावित पारेषण प्रणाली पर अवलोकन/प्रतिनिधित्व करने के लिए नोटिस दिया जाता है। अधिक विवरण और स्पष्टीकरण के लिए कृपया संपर्क करें: **इ-मेल पता :** rvnlreadi@gmail.com, **मोबाईल नंबर : +91 70437 37423**

[फा. सं. 671209-02]

श्रवण सिंह पुरोहित, महाप्रबंधक/ विद्युत / आरवीएनएल/ अहमदाबाद /

MINISTRY OF RAILWAYS

(Rail Vikas Nigam Limited)

(Government Of India Enterprise)

NOTIFICATION

Gujarat, the 10th December, 2025

S.O. 6088(E).— Rail Vikas Nigam Limited, a Government of India Enterprise, having its registered office at Rail Vikas Nigam Limited at Plot No. 25, First Floor, August Kranti Bhawan, Africa Ave, Bhikaji Cama Place, Rama Krishna Puram, New Delhi, Delhi 110066 and PIU office at 2nd Floor, RVNL Office, Opposite SBI Bank, Near Gandhigram Railway Station, Gandhigram, Ahmedabad, Gujarat - 380009 intends to apply to the Government of India to confer upon him all powers under section 164 of the Electricity Act, 2003 for the placing of electrical lines or electrical plant for the transmission of electricity or for the purpose of telephonic or telegraphic communications necessary for the proper coordination of works which telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by the Government or to be so established or maintained and will undertake the survey, construction, installation, inspection, erection and

other works to be followed by commissioning, operation, maintenance and other works for the following transmission schemes.

Name of Transmission Scheme:

1. WESTERN RAILWAY DHANDHUKA 132/25kV Traction Substation – Drawl of 10.14 MW Power from 132KV GETCO 132 kV Dhandhuka SS on 132 KV System under Long Term Open Access.

Works covered under the scheme:

a) 132 kV D/C (2X3- Phase) Line from 132 kV Dhandhuka (GETCO) S/S end to 132 kV Switchyard of Pro. 132 kV Dhandhuka TSS with partly on ACSR Panther conductor and partly on 132 kV, 1CX800 Sq.mm Cable.Route Length is approximately 5.257 kms, which shall be on Double Circuit Tower with ACSR Panther Conductor and 132 kV, 1CX800 Sq.mm Cable.

The above transmission project is already approved by Government of India through Ministry of Power under Section 68 (1) of the Electricity Act, 2003 through Letter No. No. 25-17/112/2025-PG, Dated: 09/12/2025.

The transmission line covered under the scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities.

Name of the Villages	Tehsil	District
Jaliya, Chharodiya, Vasana, Rayka, Dhandhuka	Dhandhuka	Ahmedabad, Gujarat

Copy of the route alignment is available in the office of the undersigned. Notice is hereby given to the public to make observation/representation on the proposed transmission system within two months from the date of publication of this notice to the office of the undersigned in writing. For further particulars and clarifications please contact: **Email Address:** rvnlreadi@gmail.com, **Mobile No: +91 70437 37423**

[F. No. 671209-02]

SHRAWAN SINGH PUROHIT, General Manager/Electrical/RVNL/Ahmedabad

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.12.31 16:39:15 +05'30'